निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

(060) किशनगढ़बास विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण,में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री दीपचन्द (नाम) ग्राम :- जाटका, पोस्ट :- माहुन्द, तहसील:- किशनगढबास, जिला:-अलवर (पता) [जो बहुजन समाज पार्टी (मान्यताप्राप्त / रजिष्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडा किया गया] को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी

दिनांक:- 11.12.2018 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढबास

060, किशनगढबास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

स्थान: - अलवर

Conduct of Election Rules, 1961

(Statutory Rules Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the legislative Assembly of Rajasthan State from 060-KISHANGARHBAS Assembly Constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Deepchand (Name) VILLAGE: JATKA, POST: MAHUND, TEHSIL: -KISHANGARHBAS, DISTT: ALWAR (Address) [sponsored by BAHUJAN SAMAJ PARTY (Recognized/Registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Alwar

Date: 11-12-2018

Mahendra Singh
Returning officer
Subdivisional Officer & Subdivisional
Magistrate Kishangarhbas

(060) kishangarhbas Assembly Constituency